Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

प्रशासकीय नीतिशास्त्र, व्यवहार एवं विधि (भाग-1)

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

branch of philosophy addresses questions about morality that is, concepts such as:

Code: RJM03

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

प्रशासकीय नीतिशास्त्र, व्यवहार एवं विधि

(भाग–1)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

विषय सूची (Contents)

1. नीतिशास्त्र और मानवीय मूल्य **5–23**

1.1 पृष्ठभूमि 5

1.2 मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्त्व 7

1.3 मानवीय कृत्यों में नैतिकता के निर्धारक तत्त्व 8

1.4 निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता 9

1.5 नीतिशास्त्र के विविध आयाम 10

1.6 मानव मूल्य एवं उनका विकास 15

1.7 धर्म और नैतिकता 21

2. भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में नैतिक संप्रत्यय **24–90**

2.1 वेदों में नैतिक संप्रत्यय 24

2.2 गीता का नीतिशास्त्र 29

2.3 चार्वाक दर्शन में नैतिक संप्रत्यय 32

2.4 जैन दर्शन में नैतिक संप्रत्यय 37

2.5 बौद्ध दर्शन में नैतिक विचार 44

2.6 महात्मा गांधी का नीतिशास्त्र 51

2.7 पाश्चात्य नीतिशास्त्र 61

2.8 आधुनिक पाश्चात्य नीतिशास्त्र 67

2.9 कांट के नैतिक विचार 82

2.10 विकासवादी नीतिशास्त्र 85

2.11 अंत:प्रज्ञावाद 87

3. संवेगात्मक बुद्धि **91–105**

3.1 संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा 91

3.2 संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित मॉडल 93

3.3 शासन/प्रशासन में संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता एवं अनुप्रयोग 97

4. महान नेताओं, प्रशासकों, सुधारकों और विचारकों के जीवन और उपदेशों से मिलने वाली शिक्षाएँ **106–180**

4.1 भारत के महान नेता 106

4.2 विश्व के महान नेता 119

4.3 भारत के महान प्रशासक 125

4.4 विश्व के महान प्रशासक 139

4.5 भारत के महान सुधारक 141

4.6 विश्व के महान सुधारक 164

4.7 भारत के महान विचारक 171

4.8 विश्व के महान विचारक 177

5. अभिवृत्ति **181–204**

5.1 अभिवृत्ति क्या है/अभिवृत्ति की अंतर्वस्तु 181

5.2 अभिवृत्ति की संरचना 182

5.3 अभिवृत्तियों का निर्माण 184

5.4 अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संबंध 187

5.5 अभिवृत्ति के प्रकार्य 191

5.6 अभिवृत्ति परिवर्तन 192

5.7 अनुनयन/विश्वासोत्पादन या प्रबोधक संप्रेषण 194

5.8 राजनीतिक अभिवृत्तियाँ 199

6. सिविल सेवा के लिये अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य **205–228**

6.1 अभिरुचि क्या है 205

6.2 अभिरुचि परीक्षण 207

6.3 सिविल सेवा के लिये आधारभूत मूल्य 208

6.4 लोक सेवकों के लिये नीति संहिता एवं आचरण संहिता 223

अध्याय
1

नीतिशास्त्र और मानवीय मूल्य (Ethics and Human Values)

नैतिकता अनिवार्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य समाज का हित होता है। नैतिकता की यह मांग है कि व्यक्ति अपने निजी हित के स्थान पर समाज के कल्याण को अधिक महत्त्व दे परंतु यह एक ऐच्छिक कार्यविधि है जिसकी अपेक्षा तो समाज करता है परंतु क्रियान्वयन व्यक्ति विशेष के स्वविवेक पर निर्भर होता है। दार्शनिकों के अनुसार नीतिशास्त्र 'आचरण का विज्ञान' है। ऐसे मूल्य, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे हमें व्यवहार करना चाहिये, 'नैतिक मूल्यों' की श्रेणी में आते हैं, जैसे– ईमानदारी, निष्पक्षता आदि। इसलिये एक विश्वसनीय काम के माहौल को बढ़ावा देने के लिये नीतिशास्त्र का प्रशिक्षण अत्यधिक आवश्यक है। नैतिकता सदैव समाज सापेक्ष होती है। समाज में तो नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है और समाज के लोगों की अंतर्क्रिया के फलस्वरूप ही इसका विकास होता है। समय के साथ-साथ समाज की व्यवस्थाओं में परिवर्तन आने पर प्राय: नैतिक प्रगति या अवनति देखी गई है। इसलिये नीतिशास्त्र का महत्त्व एवं प्रासंगिकता सदैव बने रहेंगे।

1.1 पृष्ठभूमि *(Background)*

नीतिशास्त्र और नैतिकता इन दोनों शब्दों के लिये अंग्रेज़ी में 'एथिक्स' (Ethics) शब्द का प्रयोग किया जाता है। एथिक्स (Ethics) एक ग्रीक शब्द 'एथिकोस' (Ethikos) से बना है, जिसकी उत्पत्ति 'इथोस' (Ethos) से हुई है। इथोस का उस समय अर्थ था– रीति-रिवाज़, हालाँकि आजकल इसका अर्थ 'आंतरिक विशेषता' होता है। नैतिकता के लिये प्राय: 'मोरैलिटी' (Morality) शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इस मोरैलिटी शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के शब्द 'मूर्स' (Mores) से हुआ है, जिसका अर्थ है– रीति-रिवाज़। तात्पर्य यह है कि 'एथिक्स' और 'मोरैलिटी' में कोई तात्त्विक अंतर नहीं है। सामान्य जीवन में नैतिकता के लिये प्राय: मोरैलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि अध्ययन के क्षेत्र में एथिक्स का। सामान्य जीवन में हम प्राय: नैतिकता के विषय में ही चर्चा करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति का आचरण नैतिक नहीं था, समय के किसी दौर में अमुक समाज की कोई परंपरा अनैतिक थी, वर्तमान में अमुक देश की रिफ्यूजी नीति नैतिक परिप्रेक्ष्य में सराहनीय है, आदि।

इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि नैतिकता का संदर्भ समाज में रहने वाले किसी सामान्य व्यक्ति के आचरण, समाज की परंपराओं या किसी राष्ट्र की नीतियों के किसी विशेष अर्थ में मूल्यांकन से संबंधित है। उपरोक्त सभी विषयों के मूल्यांकन उपरांत 'उचित-अनुचित', 'अच्छा-बुरा', 'शुभ-अशुभ' आदि नैतिकता के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। नैतिकता तथा इसके 'प्रत्ययों' का अध्ययन ही नीतिशास्त्र है। संक्षेप में कहें तो नीतिशास्त्र एक मानवीय, सामाजिक, सैद्धांतिक एवं व्यवहारपरक 'विज्ञान' है जिसके अंतर्गत किसी समाज की परंपराओं, समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्य के आचरण या किसी देश की नीतियों के नैतिक मूल्यांकन का तथा विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों एवं नियमों का नैतिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है।

विषय-विशेष के रूप में नीतिशास्त्र *(Ethics as a special subject)*

सामान्यत: दर्शनशास्त्र के तीन प्रमुख अंग माने जाते हैं– **ज्ञानमीमांसा** (Epistemology) जिसके अंतर्गत वास्तविक ज्ञान, उसके प्रकार, उसकी प्रामाणिकता, ज्ञान की सीमा आदि का अध्ययन किया जाता है; **तत्त्वमीमांसा** (Metaphysics) जिसके अंतर्गत जगत के मूल तत्त्व/तत्त्वों, उसकी प्रकृति, उनकी संख्या आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है तथा **नीतिशास्त्र** (Ethics)। स्पष्ट है कि नीतिशास्त्र को दर्शनशास्त्र की ही एक शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त है। विषय-विशेष के रूप में पढ़ते समय नीतिशास्त्र को एक विज्ञान के तौर पर देखा जाता है जिसके अंतर्गत इसकी विषयवस्तु का व्यवस्थित अवलोकन कर कुछ मूलभूत सिद्धांतों या नियमों की खोज की जाती है तथा पहले से स्थापित सिद्धांतों एवं नियमों के आलोक में इसकी विषयवस्तु का मूल्यांकन भी किया जाता है।

विचारों के स्तर पर नहीं बल्कि उसके मूल्यों एवं संस्कारों के स्तर पर कार्य करती है। धार्मिक व्यक्ति की नैतिकता में विचलन का खतरा कम होता है। यह सच है कि धर्म नैतिकता को मज़बूती देता है परंतु धर्म नैतिकता को अनैतिक भी बना देता है, जैसे- धर्म के कारण समाज में वर्णव्यवस्था, कर्मकांड, महिलाओं की निम्न स्थिति आदि।

2. **धर्मनिरपेक्ष नैतिकता (Secular Ethics):** बहुत से दार्शनिक धर्म और नैतिकता को परस्पर विरुद्ध मानते हैं, जैसे- जवाहरलाल नेहरू, कार्ल मार्क्स आदि। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के समर्थक मानते हैं कि धर्म मनुष्य को परलोकवादी बनाता है जबकि नैतिकता का संबंध तो इसी जगत से है। इनके अनुसार धर्म शोषण की व्यवस्था बनाता है तथा अनैतिकता का अड्डा है। विभिन्न धर्मों में नैतिकता के भिन्न-भिन्न दावे हैं जिनमें अंतर्विरोध है। वे अपने तर्क देते हुए एक उदाहरण देते हैं जैसे कि यदि जैनों की अहिंसा नैतिक है तो विभिन्न धर्मों में विद्यमान हिंसा (जैसे- इस्लाम में बकरीद) कैसे नैतिक हो सकती है?

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहाँ धर्मनिरपेक्ष नैतिकता गतिशील तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर आधारित है परंतु इसमें विचलन का खतरा ज़्यादा है। वहीं, धार्मिक नैतिकता अपने आधारों पर मज़बूती से टिकी है परंतु इसमें रूढ़िवादिता का तत्त्व मौजूद है। आदर्श स्थिति ऐसी होनी चाहिये जहाँ नैतिकता में धर्म वाली मज़बूती तो हो किंतु कुरीतियाँ न हों।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- किसी समाज द्वारा जिन बातों को नैतिक रूप से सही या अच्छा बताया जाता है, उनका समुच्चय ही मूल्य है।
- नीतिशास्त्र आचरण का नियामक अध्ययन है। इसमें तथ्यात्मकता नहीं होती क्योंकि मानवीय व्यवहार अनिश्चित एवं समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इनमें समयानुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है।
- व्यावहारिक नीतिशास्त्र में चिकित्सा नीतिशास्त्र, पर्यावरण नैतिकता, व्यापार नैतिकता, खेल नैतिकता, राजनीतिक नीतिशास्त्र एवं पत्रकारिता नीतिशास्त्र को सम्मिलित किया जाता है।
- व्यवस्था के रूप में नैतिकता एक सापेक्ष वस्तुनिष्ठ अवधारणा है।
- मूल्य जन्मजात नहीं होते। ये सीखे जाते हैं। मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया 'समाजीकरण' कहलाती है।
- नीतिशास्त्र का सार तत्त्व विभिन्न नैतिक मूल्य हैं जो मनुष्य के जीवन के हर पड़ाव में उसके आचरण से अपेक्षित हैं तथा मानव कर्म इन मूल्यों के माध्यम से गुणवत्ता प्राप्त कर एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण करते हैं।
- पर्यावरणीय नैतिकता पर्यावरण दर्शन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य और पर्यावरण के आपसी संबंधों का नैतिकता के सिद्धांतों और नैतिक मूल्य के अलोक में अध्ययन करते हैं।
- भारत में वर्ष 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लोकसेवकों के लिये नीतिशास्त्रीय आचार संहिता की चर्चा पहली बार की गई।
- प्रशासनिक नैतिकता व्यवहार का वह मापदंड है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी कार्मिक के कार्य, निर्णय व व्यवहार प्रशासनिक दृष्टि से नैतिक हैं या अनैतिक।
- प्रशासन में स्थापित वे परंपराएँ या आदर्श जो निर्णय प्रक्रिया, कार्य-व्यवहार आदि को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं, प्रशासनिक मूल्य कहलाते हैं।
- बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, संवेदनशीलता जैसे मूल्यों को प्रशासनिक मूल्यों के आधारभूत तत्त्व कहा जाता है।
- सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, राजनीतिक तटस्थता, अशक्त वर्गों के प्रति संवेदना, उत्तरदायित्व आदि उच्चतर मूल्य माने जाते हैं।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 15–20 शब्दों में दीजिये)

1. 'मूल्य' के प्रकारों को स्पष्ट कीजिये।
2. नीतिशास्त्र आचरण का नियामक अध्ययन है अथवा तथ्यात्मक अध्ययन? विवेचना कीजिये।
3. आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर नीतिशास्त्र के प्रकार बताइये।
4. मानव मूल्य क्या है?
5. लैंगिक नीतिशास्त्र से आप क्या समझते हैं?
6. धर्म और नैतिकता का क्या संबंध है?

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 50–50 शब्दों में दीजिये)

1. "नीतिशास्त्र विविध आयामों से युक्त एक संवृत्ति है।" टिप्पणी करें। **RAS (Mains) 2013**
2. उच्चतर मूल्यों से आप क्या समझते हैं? उच्चतर मूल्यों का क्या स्वरूप है?
3. सामाजिक जीवन में सम्मिलित नैतिक मूल्यों की व्याख्या कीजिये।
4. क्यों नीतिशास्त्र केवल चिंतनशील मानव जीवन से संबंधित है? संक्षिप्त विवेचना कीजिये।
5. लोक प्रशासन में नीतिशास्त्र की भूमिका की विवेचना कीजिये।
6. नैतिक मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है?
7. मूल्य विमर्श के विविध आयामों पर प्रकाश डालिये।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100 या 200 शब्दों में दीजिये)

1. 'मूल्यों' व 'नैतिकताओं' से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है?
2. मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की क्या भूमिका होती है?
3. 'पर्यावरणीय नैतिकता' का क्या अर्थ है? इसका अध्ययन करना क्यों महत्त्वपूर्ण है? अपने विचार रखिये।
4. किसी समाज में नैतिक मूल्यों या नैतिक प्रतिमानों का निर्धारण किन आधारों पर होता है?

अध्याय
2

भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन में नैतिक संप्रत्यय (Ethical Concept in Indian and Western Philosophy)

नैतिकता का सीधा संबंध मानव जीवन एवं उसके व्यवहार से है। नैतिक विचारों का स्रोत दर्शन, परंपरा, संस्कृति, मान्यताएँ आदि को माना जाता है। नीतिशास्त्र, दर्शन की ही एक शाखा है। नीतिशास्त्र को व्यवहार दर्शन, नीति विज्ञान और आचारशास्त्र भी कहा जाता है। भारतीय नीति-शास्त्र एवं नैतिक विचारों पर भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रत्येक समाज में विभिन्न कालों में आवश्यकता के अनुसार दर्शन विकसित हुए हैं, जिन्होंने पूरी वैश्विक संस्कृति को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के नैतिक विचार सदैव प्रासंगिक एवं अनुकरणीय हैं।

2.1 वेदों में नैतिक संप्रत्यय *(Ethical Concept in the Vedas)*

भारतीय दर्शन को मुख्य रूप से वैदिक दर्शन तथा वेदोत्तर दर्शन में विभाजित किया गया है। वैदिक दर्शन का आधार चार वेद हैं जिन्हें अपौरुषेय माना जाता है। वेदोत्तर को नास्तिक दर्शन तथा आस्तिक दर्शन में विभाजित किया जाता है। यहाँ आस्तिक या नास्तिक शब्द का ईश्वर की अवधारणा से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। आस्तिक दर्शन वे दर्शन हैं जो वेदों को सत्य मानते हैं। अत: अपनी विवेचना के लिये वैदिक ज्ञान को आधार भूमि के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जबकि नास्तिक दर्शन वेदों में विश्वास नहीं करते। नास्तिक दर्शन के अंतर्गत चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शन आते हैं जबकि आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा या वेदांत आते हैं। इन 6 आस्तिक दर्शनों को षट्दर्शन या हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन भी कहा जा सकता है। इस वर्गीकरण को निम्नांकित चित्र से समझा जा सकतॉ है-

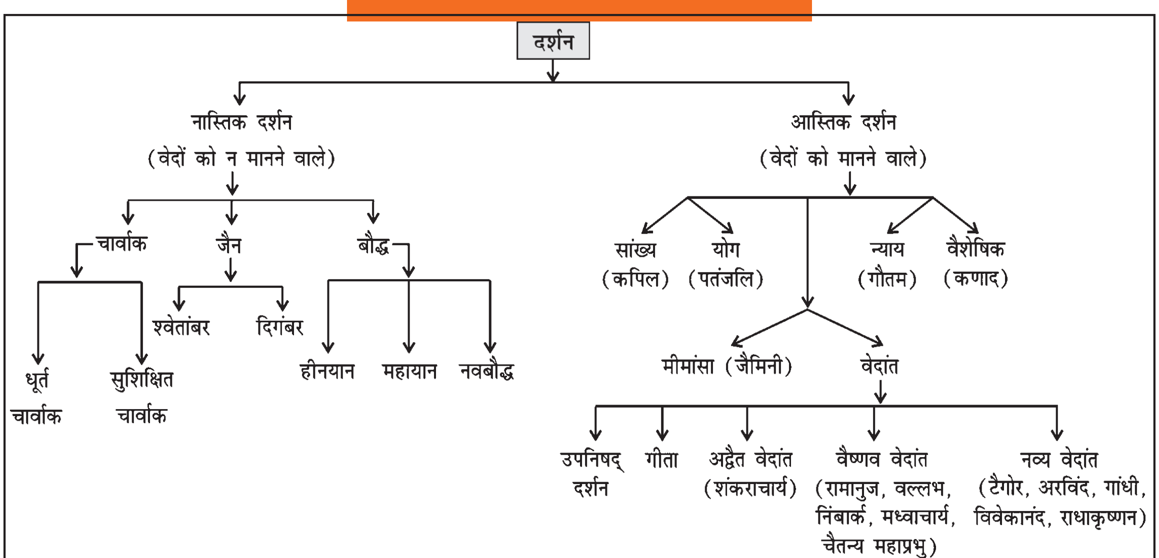

भारत में नीतिशास्त्र का विकास स्वतंत्र रूप से न होकर तत्त्वमीमांसा के साथ मोक्ष के साधन के रूप में हुआ है। इसलिये प्राचीन भारत में नीतिमीमांसा पर कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं है, परंतु वेदों में नीति के कुछ तत्त्व स्पष्ट परिलक्षित होते हैं।

वेदों में भारतीय दर्शन का सबसे आरंभिक स्वरूप विद्यमान है। वेदों के नैतिक विचार प्रवृत्तिमार्गी हैं अर्थात् इनमें भौतिक या ऐंद्रिक सुखों पर बल दिया गया है। वैदिक काल की नैतिकता बहिर्मुखी नैतिकता (Extrovertive Ethics) है। इसमें आंतरिक प्रेरणा से नहीं वरन् बाह्य दबावों के कारण नैतिकता का पालन किया जाता है।

अध्याय
3

संवेगात्मक बुद्धि
(Emotional Intelligence)

भारत जैसे बहुलतावादी देश में संवेगात्मक बुद्धि से युक्त सिविल सेवकों का होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में सार्वजनिक सेवाओं एवं प्रशासन में तनाव का स्तर काफी ऊँचा है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की निरंतर बढ़ती अपेक्षाएँ, राजनीतिक बाधाएँ, मीडिया, सिविल सोसायटी के आंदोलन आदि चौतरफा परस्पर विरोधी स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं। इन जटिल परिस्थितियों में वही व्यक्ति सफल हो पाता है, जिसमें भावनाओं के प्रबंधन की क्षमता अधिक होती है। स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले और व्यवहार में लचीलापन रखने वाले सिविल सेवक ही प्रशासन के उद्देश्यों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमें किसी समस्या को सुलझाने के लिये संज्ञानात्मक बुद्धि की आवश्यकता होती है, परंतु संज्ञानात्मक बुद्धि हमारे दैनिक जीवन के एक छोटे-से अनुपात का ही प्रतिनिधित्व करती है। अतः संवेगात्मक बुद्धि का महत्त्व एवं आवश्यकता इसकी तुलना में कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इसलिये प्रशासनिक अधिकारियों से संवेगात्मक बुद्धि की अपेक्षा की जाती है।

3.1 संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा
(Concept of Emotional Intelligence)

अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उनका समुचित प्रबंधन करने की क्षमता को संवेगात्मक बुद्धि, भावनात्मक परिपक्वता या सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अपनी भावनाओं को परिस्थिति के अनुसार नियंत्रित व निर्देशित कर, पारस्परिक संबंधों को विवेकानुसार और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने की क्षमता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। यह मूल रूप से अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने तथा दूसरे के मनोभावों को समझकर उन पर नियंत्रण करने की क्षमता है। संवेगात्मक बुद्धि को संवेगात्मक बुद्धि या भावनात्मक प्रज्ञता भी कहा जाता है।

प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। ऐसे ही भावनाओं को व्यक्त करने एवं उन्हें प्रबंधित करने का तरीका भी अलग-अलग होता है। अपनी भावनाओं या संवेगों को समझने की क्षमता और किस प्रकार से आपके संवेग दूसरों को प्रभावित करते हैं इस प्रकार की समझ से अच्छे संबंधों का निर्माण हो सकता है। इसके अंतर्गत दूसरों के प्रति आपकी धारणा भी सम्मिलित होती है। एक कुशल लोक सेवक कार्यकुशलता, दक्षता एवं कार्य की सफलता के लिये संवेगात्मक प्रबंधन का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करता है।

अवधारणा का विकास *(Development of concept)*

डार्विन ने माना था कि व्यक्ति की उत्तरजीविता व अनुकूलन में इस बात का भी महत्त्व है कि वह अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे तथा कितनी करता है। उसी शताब्दी (19वीं) में जब हीगल जैसे बुद्धिजीवी बुद्धि तथा अमूर्तीकरण को मनुष्य की सर्वोच्च क्षमता बता रहे थे, अस्तित्ववादी विचारक सोरेन कीर्केगार्द ने कहा था कि मनुष्य की पहचान उसकी भावनाओं से होनी चाहिये, न कि बुद्धि से। उस समय हीगल के सम्मुख कीर्केगार्द की बात को महत्त्व नहीं दिया गया।

1920 में थोर्नडाइक ने बुद्धिमत्ता के प्रकारों पर विचार करते हुए सामाजिक बुद्धिमत्ता या सोशल इंटेलिजेंस की धारणा दी जिसका अर्थ है– सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिये उचित विकल्प चुनने की क्षमता। वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत इस विशेषता को भी शामिल किया जाता है।

1940 में डेविड वेसलर ने लिखा कि व्यक्ति की सफलताओं में सिर्फ बौद्धिक पक्ष शामिल नहीं है बल्कि भावनात्मक पक्षों को महत्त्व दिये जाने की भी ज़रूरत है। 1950 के दशक में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य के भावनात्मक पक्षों के महत्त्व को रेखांकित किया।

अध्याय 4

महान नेताओं, प्रशासकों, सुधारकों और विचारकों के जीवन और उपदेशों से मिलने वाली शिक्षाएँ (Lessons from the Life and Preachings of Great Leaders, Administrators, Reformers and Thinkers)

संसार के महान नेताओं, प्रशासकों और सुधारकों ने अपने जीवन एवं उपदेशों से संसार एवं मानवता को नई राह दिखाई है। उनके प्रयास न केवल उनके समाज के लिये अपितु समस्त मानवजाति के उत्थान के लिये मील का पत्थर साबित हुए हैं। समय साक्षी है कि उनकी वाणियों की प्रासंगिकता और महत्ता अक्षुण्ण रही है। उनके कर्म और विचार मानव सभ्यता को और अधिक ऊँचाई की ओर ले जाने में सक्षम साबित हुए हैं। इन नेताओं, सुधारकों एवं प्रशासकों के प्रयास किसी धर्म, वर्ण, प्रजाति आदि के लिये नहीं होकर मानवमात्र के कल्याण के लिये समर्पित थे; इसलिये उन्हें किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इन महान लोगों के जीवन के सिद्धांतों को हम उनके व्यवहार में भी देख सकते हैं। इनके सिद्धांतों और आचरण में भेद नहीं होता था। ये जिस तरह के जीवन की आशा अपने अनुयायियों से करते थे, वैसा जीवन खुद भी जीते थे। इनके चरित्र और आचरण में भिन्नता नहीं मिलती है। ऐसे ही कुछ महत्त्वपूर्ण नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों एवं विचारकों का परिचय नीचे दिया गया है।

4.1 भारत के महान नेता *(Great Leaders of India)*

जवाहरलाल नेहरू *(Jawaharlal Nehru)*

जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर, 1889 को इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। पंद्रह वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड चले गए और दो साल बाद उन्होंने कैंब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहाँ से उन्होंने 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक तथा लॉ की डिग्री प्राप्त की। 1912 में वे बैरिस्टर बने तथा भारत लौटकर इलाहाबाद में वकालत शुरू की। परंतु वकालत के पेशे से अधिक उन्हें राजनीति में रुचि थी। वर्ष 1912 में वे सीधे राजनीति से जुड़ गए। उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बाँकीपुर सम्मेलन में भाग लिया एवं 1919 में इलाहाबाद के होमरूल लीग के सचिव बने। वर्ष 1916 में वे महात्मा गांधी से पहली बार मिले जिनसे वे काफी प्रेरित हुए। उन्होंने वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। वर्ष 1920-22 में 'असहयोग आंदोलन' में सक्रियता से भाग लेने के कारण उन्हें दो बार जेल जाना पड़ा।

जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस कमेटी के महासचिव बने। उन्होंने वर्ष 1926 में इटली, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी एवं रूस का दौरा किया। उन्होंने 1922 में मास्को में अक्टूबर समाजवादी क्रांति की दसवीं वर्षगाँठ समारोह में भाग लिया। वर्ष 1926 में मद्रास कॉन्ग्रेस में कॉन्ग्रेस कार्यकारिणी को आज़ादी के लक्ष्य के लिये प्रतिबद्ध करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के खिलाफ एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया गया था। 29 अगस्त, 1928 को उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया एवं वे उन लोगों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधार की 'नेहरू रिपोर्ट' पर अपने हस्ताक्षर किये थे। इस रिपोर्ट का नाम उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। उसी वर्ष उन्होंने 'भारतीय स्वतंत्रता लीग' की स्थापना की एवं इसके महासचिव बने। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्णत: अलग करना था।

वर्ष 1929 में पंडित नेहरू भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिये पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उन्हें 1930-35 के दौरान नमक सत्याग्रह एवं कॉन्ग्रेस के अन्य आंदोलनों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। अपने कैदी जीवन में उन्होंने 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया', 'ग्लिंपसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री' और 'मेरी कहानी' नामक विख्यात पुस्तकें लिखीं।

अध्याय
5

अभिवृत्ति (Attitude)

व्यक्ति की अभिवृत्ति उसका व्यक्तित्व निर्माण करने के साथ-साथ समाज में उसके कार्य-व्यवहार को संचालित करती है। अभिवृत्ति समाज से प्रभावित होती है और उसे प्रभावित भी करती है। सामान्यत: किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं। आमतौर पर अभिवृत्तियाँ व्यक्तिगत अनुभव एवं समाज के साथ अंतर्क्रिया द्वारा सीखी जाती हैं। चूँकि अभिवृत्ति सापेक्षत: स्थायी होती है तथा इसमें प्रेरित करने की शक्ति भी होती है इसी विशेषता के कारण अभिवृत्ति का महत्त्व सिविल सेवकों के लिये बहुत अधिक हो जाता है। सिविल सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी अभिवृत्ति, पूर्वाग्रहों एवं रूढ़ियुक्ति से मुक्त रहते हुए अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करें। अभिवृत्ति के कारण हमारा दृष्टिकोण तटस्थ और वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाता है जबकि सिविल सेवकों के लिये यह ज़रूरी है कि उनका दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ तथा तटस्थ हो।

5.1 अभिवृत्ति क्या है/अभिवृत्ति की अंतर्वस्तु *(What is Attitude/Content of Attitude)*

अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय (Psychological Object) (अर्थात् व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। उदाहरण के लिये, वर्तमान भारत में पश्चिमी संस्कृति और ज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है, जबकि पारंपरिक तथा रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति आमतौर पर नकारात्मक अभिवृत्ति दिखाई पड़ती है।

अभिवृत्ति की परिभाषा में समय के साथ परिवर्तन आया है। शुरुआती परिभाषाओं में इसके केवल एक पक्ष पर बल दिया जाता था जिसे मूल्यांकनपरक पक्ष (Evaluative) या भावनात्मक (Affective) पक्ष कहा जा सकता है। 1946 में थर्सटन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष या विपक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की तीव्रता को अभिवृत्ति कहते हैं।

कालांतर में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बल दिया कि अभिवृत्ति में सिर्फ भावनात्मक पक्ष नहीं होता बल्कि संज्ञानात्मक पक्ष (Cognitive aspect) भी होता है अर्थात् एक जानकारी या विश्वास की उपस्थिति भी होती है। उदाहरण के लिये अगर कोई पुरुष कहता है कि महिलाएँ अतार्किक होती हैं तो इसमें महिलाओं में तर्क बुद्धि कम होने का विश्वास अंतर्निहित है और साथ ही उनके प्रति नकारात्मक भावना भी शामिल है। 1980-90 के बाद अभिवृत्ति की परिभाषा और व्यापक हो गई। इन परिभाषाओं में निहित दृष्टिकोण को ABC दृष्टिकोण कहा जाता है। यहाँ A का अर्थ Affective या भावनात्मक है; B का अर्थ Behavioural अर्थात् व्यवहारात्मक जबकि C का अर्थ Cognitive या संज्ञानात्मक है। इसे हिन्दी में 'संभाव्य' (संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक) कहते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति इन तीन संघटकों की अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता है। उदाहरण के लिये यदि कोई श्वेत-अश्वेतों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखता है तो उसमें तीन पक्ष होंगे:

(i) उसके पास कुछ ऐसी जानकारियाँ होंगी जिनसे साबित होता हो कि अश्वेत बुरे होते हैं, ये जानकारियाँ गलत हो सकती हैं किंतु उसे विश्वास होगा कि ये सही हैं (संज्ञानात्मक पक्ष)।

(ii) वह अश्वेतों के प्रति नफरत या घृणा जैसी भावनाएँ अनुभव करेगा (भावनात्मक पक्ष)।

(iii) वह किसी अश्वेत को देखकर नकारात्मक प्रतिक्रिया करेगा जैसे उससे दूर बैठना, हाथ न मिलाना या गालियाँ देना आदि (व्यवहारात्मक पक्ष)।

अध्याय
6

सिविल सेवा के लिये अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य (Aptitude and Foundational Values for Civil Services)

संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रशासन में दक्षता के लिये शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। देश की शासन व्यवस्था की स्टील फ्रेम लोक-सेवाएँ इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करती हैं, इसलिये लोक-सेवाओं के लिये कुछ अनिवार्य आधारभूत योग्यताओं के होने की अपेक्षा की जाती है। एक सिविल-सेवक के सेवा काल में कई ऐसे मौके आते हैं जब उसे कठिन निर्णय लेने होते हैं और उसके निर्णय में थोड़ी-सी भी चूक कई व्यक्तियों के जीवन पर भारी पड़ सकती है। अच्छे शासन की नींव स्थिरता और मधुर संबंधों को सुनिश्चित करते हुए नैतिक गुणों पर रखी जानी चाहिये। सुशासन की स्थापना के लिये लोक-सेवकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, सहिष्णुता, राजनीतिक तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, वंचित वर्गों के प्रति करुणा तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों का होना आवश्यक है। साथ ही अपने कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों के अनुरूप अभिरुचि का होना भी आवश्यक है। लोक सेवा में नैतिकता एवं तार्किकता के सभी मूल्यों का समावेश किया जाना आवश्यक है। हमारे सिविल-सेवकों को संवेदनशील होना पड़ेगा ताकि वे जनता के दु:ख-दर्द को समझ सकें और लोकतंत्र की बेहतरी में योगदान दे सकें।

6.1 अभिरुचि क्या है *(What is Aptitude)*

अभिरुचि से आशय व्यक्ति की उस तत्परता, रुझान या क्षमता से है जो किसी पद एवं उसके कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु आवश्यक है जिनका विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा संभव है तथा समयानुकूल सुधार की संभावना भी उपलब्ध रहती है। अभिरुचि कोई एक गुण नहीं है बल्कि एकाधिक गुणों का सम्मिलित संयोजन है। यह मानव क्षमता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

फ्रीमैन के अनुसार, "अभिरुचि का तात्पर्य गुणों तथा विशेषताओं के एक ऐसे संयोग से होता है जिससे विशिष्ट ज्ञान तथा संगठित अनुक्रियाओं के कौशल, जैसे– किसी भाषा को बोलने की क्षमता, यांत्रिक कार्य करने की क्षमता आदि का पता लगाया जा सकता है।

बिंघम के अनुसार, "अभिरुचि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात् उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है।" अभिरुचि को अभिवृत्ति भी कहा जाता है।

अभिरुचि किसी व्यक्ति की विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि अगर उसे उचित वातावरण तथा प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है। यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल को सीखने की अथवा ज्ञानार्जन की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता है। आमतौर पर अभिरुचियाँ जन्मजात होती हैं लेकिन वे अर्जित भी हो सकती हैं। अभिरुचि बुद्धिमत्ता (intelligence), ज्ञान (knowledge), समझ (understanding), रुचि (Interest) व कौशल (skills) से भिन्न है।

अभिरुचि की विशेषताएँ *(Characteristics of aptitude)*

सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बिंघम के अनुसार अभिरुचि की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. व्यक्ति की अभिरुचि वर्तमान गुणों का वह समुच्चय है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं की ओर इंगित करता है।
2. यह किसी वस्तु का नाम न होकर अमूर्त संज्ञा है। चूँकि यह व्यक्ति में ही समाहित होती है, इसलिये यह व्यक्ति के गुण या विशेषता की ओर संकेत करती है।
3. यह व्यक्ति की जन्मजात योग्यता ही नहीं होती बल्कि किसी कार्य को करने में उसकी प्रवीणता के भाव को भी व्यक्त करती है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456